पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.- 7084/2023

==========

अब्दुल बारी स्वर्गीय अब्दुल खालिक के पुत्र, गाँव- मसूरिया, वार्ड संख्या 12, डाकघर- मसूरिया, थाना- महलगाँव, जिला-अररिया।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला दंडाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, सीतामढ़ी।
3. जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, सीतामढ़ी।
4. उपायुक्त (स्थापना), सीतामढ़ी।
5. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग, सीतामढ़ी।

.... प्रतिवादीगण

==========

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति - प्रार्थी का मामला जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, सीतामढ़ी द्वारा खारिज किया गया, जिसका कारण आवेदक का आवेदन कालबाधित होना था - क्योंकि आवेदन को प्रार्थी ने अपने पिता की मृत्यु के 5 वर्ष बाद दर्ज किया था, जोकि बिहार, पटना के सामान्य प्रशासनिक विभाग सर्कुलर दिनांक 30.08.2019 के विपरीत है - जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर्मचारी के मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर दर्ज करना चाहिए - लेकिन प्रार्थी ने इसके बाद में आवेदन दाखिल किया - इसलिए उसका आवेदन कालबाधित हो गया।

प्रार्थी के पिता की असामयिक मृत्यु उसके सेवाकाल मे दिनांक 02-06-2015 को हुई थी - उस समय प्रार्थी नाबालिग था क्योंकि उनकी जन्म तिथि 15-05-1998 थी - प्रार्थी 15-05-2016 को वयस्क / बालिग हुआ - तत्पश्चात प्रार्थी ने दिनांक 20-01-2020 को अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया पांच वर्ष के समयावधि के अंदर जो सर्कुलर ,दिनांक 27.04.1995 मे प्रावधानित किया गया था।

निर्णय, वर्तमान मामले में प्रार्थी द्वारा आवेदन दाखिल करने के लिए निर्धारित समय सीमा 5 वर्ष की अवधि उसके पिता की मृत्यु की तारीख से अभी भी समाप्त नहीं हुई थी इसलिए प्रार्थी को सरकारी सर्कुलर डेटा 27/04/1995 के अनुसार आवेदन दर्ज करने का अधिकार था - उन्होंने 5 वर्षों के समाप्त होने से पहले आवेदन दर्ज किया था अर्थात 21/01/2020 को - पुराने सरकारी सर्कुलर दिनांक 30.08.2019 का वास्तव में वर्तमान मामले में कोई उपयुक्तता नहीं है - इसलिए प्रश्ङ्गत मेमो दिनांक 04.03.2021 में जो आदेश है, अवैध होने के कारण रद्द किया जाता है - उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है की प्रार्थी के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, लोक स्वस्थ विभाग, सितमढ़ी द्वारा अनुसंषित आवेदन जो उनके पत्रांक दिनांक 05.09.2022 द्वारा समिति को भेजा गया था के अनुसार मेरिट पर पुनर्विचार करे, और आदेश की प्रति की प्राप्ति/ प्रस्तुतीकरण के चार सप्ताह के अंदर उचित आदेश पारित करे।

रिट याचिका स्वीकृत की गयी।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.- 7084/2023

==========

अब्दुल बारी स्वर्गीय अब्दुल खालिक के पुत्र, गाँव- मसूरिया, वार्ड संख्या 12, डाकघर- मसूरिया, थाना- महलगाँव, जिला-अररिया।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला दंडाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, सीतामढ़ी।
3. जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, सीतामढ़ी।
4. उपायुक्त (स्थापना), सीतामढ़ी।
5. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग, सीतामढ़ी।

.... प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:-

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्रीमती निवेदिता निर्विकर, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री शम्भु शरण कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री शिव शंकर प्रसाद (एससी-8)

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय:-

तारीखः19-03-2024

1. वर्तमान रिट याचिका जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, सीतामढ़ी की बैठक में लिया गया निर्णय रद्द करने के लिए दायर की गयी है, जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, जैसा कि ज्ञापांक सं.156 दिनांक 04.03.2021 में निहित है, जिसमे और जिसके तहत याचिकाकर्ता को इस आधार पर अनुकंपा रोजगार से वंचित कर दिया गया है कि हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना, दिनांक 30.08.2019 के परिपत्र में प्रावधान है कि एक पदधारी को वयस्कता प्राप्त करने के एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुकंपा रोजगार देने के लिए आवेदन दायर करना आवश्यक है, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसके बाद आवेदन दायर किया था, इसलिए उसके मामले में समय की पाबंदी है। इसलिए उसका आवेदन समय बाधित है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य याचकाकर्ता के कथनानुसार यह हैं:- कि याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय अब्दुल खालिक की मृत्यु लोक स्वास्थ्य उप-मंडल, पुपरी, प्रखंड-परिहार, जिला-सीतामढ़ी में कार्य पर्यवेक्षक के पद पर काम करते हुए 02.06.2015 को हो गई। याचिकाकर्ता अपने पिता की मृत्यु के समय नाबालिग था, क्योंकि उसकी जन्म तिथि 15.05.1998 है और उसने 15.05.2016 पर वयस्कता प्राप्त किया, जिसके बाद, उसने 21.01.2020 पर अनुकंपा रोजगार के अनुदान के लिए आवेदन किया, यानी अपने पिता की मृत्यु के पांच साल की निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना, द्वारा निर्गत दिनांक 27.04.1995 के मुख्य परिपत्र में प्रदान किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क हे कि जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 04.03.2021 को आक्षेपित ज्ञापन में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्त्ता केमामले को कालबाधित रखने या कारण बताना न केवल अवैध, बल्कि भ्रामक भी है क्योंकि याचिकाकर्त्ता को 30.08.2019 के बाद के परिपत्र का लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं थी जिसके तहत यह माना गया कि यदि पदधारी बालिग नहीं है और पांच साल की निर्धारित अवधि जो पदधारी कर्मचारी के मृत्यु से अनुकंपा रोजगार पाने हेतु आवेदन दायर करने के लिए निर्धारित है, में बालिग नहीं होता है तो वयस्कता प्राप्ति के एक वर्ष की अवधि के भीतर, वह अनुकंपा रोजगार के अनुदान के लिए आवेदन दायर करने का हकदार होगा, जबकि, वर्तमान मामले में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने के लिए पांच साल की निर्धारित समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई थी, जिस दिन याचिकाकर्ता ने आवश्यक आवेदन दायर किया था, यानी 21.01.2020 को और इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने केवल वयस्कता प्राप्त करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था और वह भी अपने पिता की मृत्यु की तारीख अर्थात 02.06.2015 से पाँच साल की निर्धारित समय सीमा, के भीतर

4. इस प्रकार यह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए दायर याचिकाकर्ता के आवेदन को गुण-दोष के आधार पर संसाधित किया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से, कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रभाग, सीतामढ़ी द्वारा दिनांकित 05.09.2022 के पत्र के माध्यम से की गई सिफारिशों को देखते हुए, इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि समान रूप से स्थित व्यक्ति, जिसका मामला भी दिनांक 04.03.2021 के उपरोक्त ज्ञापन के क्रम संख्या 2 के माध्यम से समय की पाबंदी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, को पहले ही जिला दंडाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा पारित दिनांक 10.03.2022 के आदेश के माध्यम से

अनुकंपा रोजगार प्रदान किया जा चुका है, इसलिए इसी तरह का व्यवहार याचिकाकर्ता के साथ भी किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, हालांकि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका का विरोध किया है, हालांकि, वह यह इंगित करने में सक्षम नहीं हैं कि कैसे और कानून के किस प्रावधान के तहत, याचिकाकर्ता के मामले को समय बाधित के रूप में उपरोक्त ज्ञापन दिनांकित 04.03.2021 द्वारा खारिज कर दिया गया है,, फिर भी, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि यह न्यायालय ऐसा निर्देश देता है, तो याचिकाकर्ता के मामले पर निश्चित रूप से गुण-दोष के आधार पर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से की गई सिफारिशों के अनुसार, नए सिरे से विचार किया जाएगा।

6. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर गौर किया, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु उपरोक्त सरकार के परिपत्र दिनांक 27.04.1995 के अनुसार 02.06.2015 को हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता 02.06.2015 को या उससे पहले अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने का हकदार था, फिर भी, उसने वयस्क होने एवं आवश्यक योग्यताएं हासिल कर पांच साल की समाप्ति से बहुत पहले अर्थात 21.01.2020 को आवश्यक आवेदन दायर किया था, इसलिए उत्तरदाताओं पर यह दायित्व था कि वे योग्यता के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपने दावे को संसाधित करें और सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पटना द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 30.08.2019 पर भरोसा करके समय की पाबन्दी के रूप में उनके आवेदन को अस्वीकार नहीं करें। जो वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल भी लागू नहीं है, क्योंकि यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के पांच

साल बीतने के बाद वयस्कता प्राप्त किया था। इस प्रकार, इस न्यायालय ने पाया कि जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति, सीतामढ़ी का निर्णय, जिसमें याचिकाकर्ता है, जैसा कि दिनांकित 04.03.2021 के ज्ञापन में निहित है, विकृत, अवैध और अलग किए जाने योग्य है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे, कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रभाग, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 05.09.2022 के पात्र के माध्यम से की गई सिफारिशों के संदर्भ में, याचिकाकर्ता की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले पर, गुणदोष के आधार पर, नए सिरे से विचार करे और इस आदेश की एक प्रति की प्राप्ति/उत्पादन के चार सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें।

7. रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

सोनल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।